केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं   CICOM/A/P/25/00041
संदर्भ संचिका सं .   CICOM/R/P/24/00563
अपीलकर्ता   श्री राम बिलास
[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.11.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	20.12.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	17.01.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सुमन बाला, CPIO (DR to CR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.01.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	03.02.2025
निर्णय की तारीख	28.02.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 17.11.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -
"दिनांक 16.11.2024 को Deputy Registar CR – 1 Central Inforamation Commission CIC Bhawan Baba Gang Nath Marg Munirka New Delhi 110067 की स्तिथि एवं प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु।"

2. प्रदान की गई सूचना

श्रीमती सुमन बाला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 17.01.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"उक्त विषय के सन्दर्भ में आपकी आर.टी.आई. आवेदन पत्र कि पंजीकरण संख्या CICOM/R/P/24/00563 दिनांक 20.12.2024 के सन्दर्भ में आपके द्वारा मांगी गयी सूचना स्पष्ट नहीं है। हालांकि, आपकी द्वितीय/अपील शिकायत आयोग में 15.10.2024 को प्राप्त हुई और जिसको डायरी संख्या 133632 है। यह एक फैसिलिटेशन मेमो है जिसमे यह बताया गया है कि आपकी दूसरी अपील को पत्र दिनांक 21.10.2024 के माध्यम से कमियों को दूर कर पूर्ण रूप से द्वितीय अपील/शिकायत पुनः प्रस्तुत करें।"

3. प्रथम अपील का आधार

"अपीलार्थी को पूरी व सही सूचना उपलब्ध करवाई जाए।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00563 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 28.02.2025

C. I. C. / के० सू० आ०
RECEIVED
03 MAR 2025
D. No.
Initials

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

05/3/25